जावक - 2664/13-1-2005

10 Rs

रूप क्रमांक 2

[देखिये नियम 7]

मध्यप्रदेश शासन

मोनो

सीमीत का पंजीयन प्रमाण-पत्र

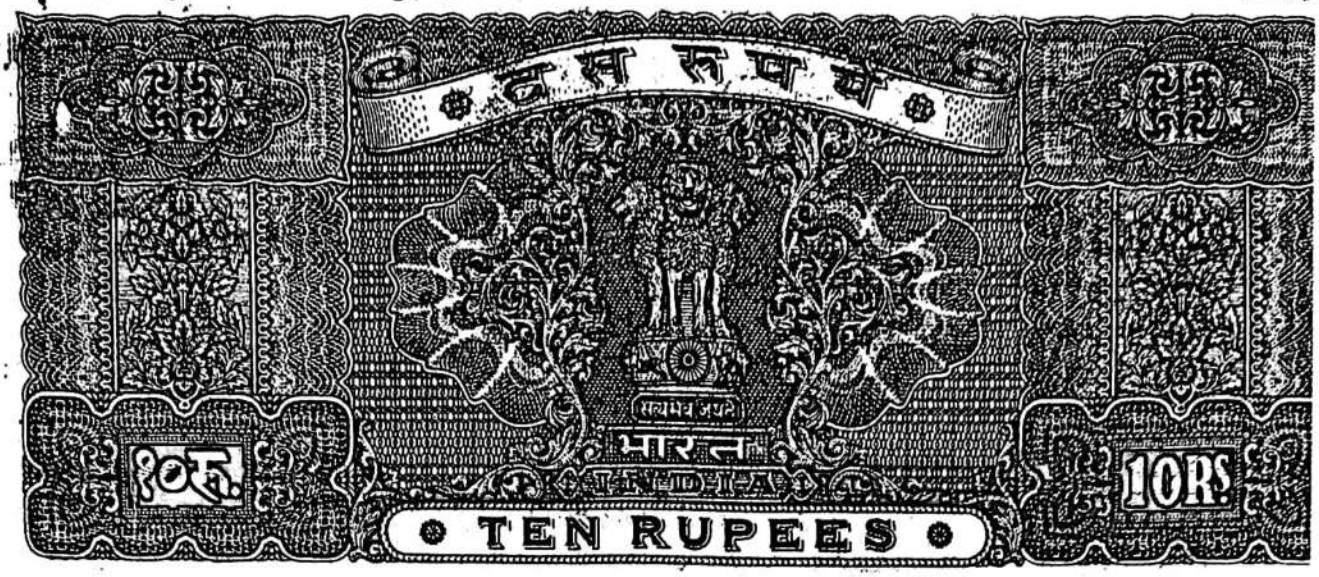

क्रमांक-12925,

यह प्रमाणित किया जाता है कि, " छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति " समिति जो महासमुन्द , तहसील महासमुन्द , जिला रायपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 [सन् 1973 का क्रमांक 44] के अधीन 27-8-1973 को पंजीयित की गई ।

दिनांक सत्ताईस माह अगस्त सन् 1983

सत्यप्रतिलिपि

==========

(डी॰ एल॰ धुर्वे) 13.1.05

सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़

हस्ताक्षर/सही

[गंगाप्रसाद श्रीवास्तव]

[समितियों के रजिस्ट्रार]

छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षा समिति 5/3519/13 27-8-87
महासमुन्द जिला रायपुर (म. प्र.)

XXX-Part.—24

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक १२९२५

यह प्रमाणित किया जाता है कि "छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति"

समिति जो महासमुन्द, तहसील महासमुन्द

जिला रायपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)

के अधीन आज पंजीयित की गई है।

दिनांक सत्ताईस माह अगस्त सन् १९८३

मुद्रा

समितियों के रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहूँ शिक्षण समिति महासमुन्द
जिला-महासमुन्द(छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-12925 स्थापना- 1 अगस्त 1983

क्र. 617 (प) दि. 30/01/2023

नियमावली

1 नाम – संस्था का नाम छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहूं शिक्षण समिति होगा।

2 कार्यक्षेत्र –संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र होगा तथा इसका मुख्यालय महासमुन्द, जिला – महासमुन्द रहेगा।

3 उद्देश्य – छत्तीसगढ़ की चन्द्रनाहूं एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करके इन सभी क्षेत्रों में उनकी सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिये निरंतर प्रयास करना तथा ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे प्रत्येक छात्र तथा युवाजन की मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति निम्न कार्य अपने हाथ में लेगी अथवा उसमें सहयोग करेगी :–

(1) शैक्षणिक संस्थाएँ शिशु मंदिर, प्रौढ़ शिक्षण शालाएँ स्थापित करना एवं उनका संचालन करना।

(2) कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग एवं अन्य रोजगार अभिमुख प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना एवं उनका संचालन करना।

(3) शिक्षारत एवं कार्यशील महिलाओं एवं छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना एवं संचालन करना।

(4) प्रतिभाशाली निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं उनका संचालन करना।

(5) पुस्तकालय एवं व्यायाम शाला खोलना एवं उनका संचालन करना।

(6) कृषि कार्यो में लगे लोगों को नवीनतम सुधरी कृषि पद्धति की जानकारी देना एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(7) सामाजिक युवा महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करके इन वर्गों मे चेतना पैदा करना।

सचिव
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द(छ.ग.)

(8) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और जो भी कार्य आवश्यक हो करना।

(9) छत्तीसगढ़ी संस्कृति आधारित त्यौहारों, खेल कूद एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(10) उपरोक्त सभी उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के लिए शासन द्वारा अनुदान प्राप्त करना एवं आवश्यक होने पर शिक्षण समिति के विस्तार के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना।

4 सदस्यता – छत्तीसगढ़ भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले कोई भी चन्द्रनाहू कुर्मी (क्षत्रिय) समाज का व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो समिति का सदस्य हो सकेगा। संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) संरक्षक सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रू. 15000/– (पन्द्रह हजार) या अधिक एकमुश्त देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा। संरक्षक सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु उपरांत उनके परिवार का एक सदस्य आजीवन सदस्य बन सकेगा।

छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
क्र. 617(प)
दि. 30/01/2023

(ब) आजीवन सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रू. 3000/– (तीन हजार) या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा।

(स) सम्मानीय सदस्य – संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

5 सदस्यता की प्राप्ति – प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

6 सदस्यों की योग्यता – संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

(1) भारतीय नागरिक हो।

(2) आयु 18 वर्ष से कम न हो।

(3) चन्द्रनाहू कुर्मी समाज का सदस्य हो।

(4) समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

सचिव
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द(छ.ग.)

7 सदस्यता की समाप्ति – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

(1) चारित्रिक दोष होने पर, पागल होने पर या मृत्यु होने पर।

(2) समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर।

(3) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर।

(4) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगा।

(5) समिति की स्वीकृति के बिना वह प्रबंध समिति की लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित रहने पर।

8 सामान्य निकाय –

(अ) शिक्षा सत्र समाप्त होने तथा आगामी शिक्षा सत्र आरंभ होने के मध्य प्रत्येक वर्ष सामान्य बैठक बुलाई जायेगा।

(ब) प्रबंध समिति किसी भी समय संस्था की विशेष सामान्य बैठक बुला सकेगी। इसके अतिरिक्त कम से कम 50 सदस्य या कुल सदस्यों के पंच भाग से जो भी कम हो लिखित मांग प्राप्त होने पर बैठक बुलायेगी।

(स) सामान्य बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक पंच भाग सदस्यों से या 25 सदस्यों से दोनों में जो भी कम हो।

(द) वार्षिक सामान्य बैठक के 14 दिन तथा अन्य सामान्य बैठकों के लिये 7 दिन की सूचना आवश्यक होगी।

10 वार्षिक सामान्य बैठक के निम्न कार्य होंगे :–

(क) अध्यक्ष एवं सचिव सहित प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन यदि उस वर्ष होना हो।

(ख) प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये वार्षिक प्रतिवेदनों और वित्तीय विवरणों और सिलक पत्रों को पारित करना और लेखा पारित प्रतिवेदन पर विचार करना।

(ग) आगामी वर्ष की योजना एवं कार्यक्रम पर विचार करना।

(घ) कार्यवलि के किसी अन्य विषय पर विचार करना।

11 अध्यक्ष – अध्यक्ष प्रबंध समिति एवं साधारण सभा के सामान्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उक्त बैठक के उपाध्यक्ष सभापति होंगे।

सचिव
छत्तीसगढ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द

अध्यक्ष
छत्तीसगढ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द(छ.ग.)

12 प्रबंध समिति – समिति के कार्य संचालन के लिये अध्यक्ष एवं सचिव सहित 19 सदस्यों की एक प्रबंध समिति होगी जो प्रत्येक तीन वर्ष सामान्य समिति द्वारा चूनी जावेगी। अगर किसी कारणवश समिति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने पर नही हो सका तब इस स्थिति में नई प्रबंध समिति का चुनाव होने तक पुरानी समिति ही कार्य करती रहेगी। प्रथम प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

13 प्रबंध समिति के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होंगे :–

(क) नई सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करना।

(ख) संस्था के सभी वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्त करने, निलंबित करने या पदच्युत करने का अधिकार।

(ग) लेखा परीक्षा के लिये लेखा प्रस्तुत करना।

(घ) सामान्य बैठक बुलाना और पिछले वर्ष के विवरण, प्रतिवेदन व सिलक पत्र प्रस्तुत करना।

(ड़) व्यय की स्वीकृति देना तथा अनुइंगित खर्च के लिये सचिव के पास अधिकतम राशि रखने की सीमा निर्धारित करना।

(च) संस्था की ओर से कानूनी कार्यवाहियाँ करना, मुकदमा करना या समझौता करना तथा अन्य प्रकरणों में संस्था की ओर से अनुबंध करार व राजीनामा करना।

(ज) सामान्य तथा संस्था के कार्य की देखरेख करना और उसका संचालन करना। तथा संस्था के सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की तथा सामान्य निकाय को न सौंपे गये अन्य मामले का निर्णय करना।

(झ) समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के दैनिक व्यवस्था के लिए स्थानीय समिति अथवा उपसमिति गठित करना तथा आवश्यकतानुसार अपना अधिकारी किसी उपसमिति अथवा पदाधिकारी को प्रदान करना।

14 प्रबंध समिति की बैठक सामान्यतः महीने में 1 बार 7 दिन की सूचना पर होगी। आवश्यकता होने पर 3 दिन की सूचना पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी। गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई से होगी। गणपूर्ति के अभाव में से स्थगित बैठक 1 घंटे के पश्चात हो सकेगी। जिसके लिये कोई गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

15 प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा। सामान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष ऐसे किसी प्रश्न पर अपना निर्णायक मत दे सकेगा। जिसमें उनकी कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी न हो।

सचिव
छत्तीसगढ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द

अध्यक्ष
छत्तीसगढ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द(छ.ग.)

16 प्रबंध समिति के कार्यकाल में उसके किसी निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति उसके शेष अवधि के लिये अन्य सदस्यों में से सहयोजन द्वारा किया जावेगा।

17 प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य प्रबंध और सामान्य निकाय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता या बैठक भत्ता का हकदार नही होगा।

18 सचिव के निम्न कर्तव्य होंगे :–

(क) प्रबंध समिति के आदेशों के अंतर्गत संस्था की ओर से सदस्यता, दान एवं अन्य सहयोग की राशि तथा चल एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और भुगतान करना।

(ख) संस्था के कार्यालय के मांग की देखरेख करना।

(ग) आवश्यक पंजीयाँ और पुस्तकें रखना।

(घ) संस्था की ओर से प्रपत्र व्यवहार करना तथा उसकी ओर से सभी रसीदों, बिलों और ऐसे लिखतों पर हस्ताक्षर करना जिसमें संस्था एक पक्ष हो।

(ड़) समिति की बैठक बुलाना तथा सामान्य बैठकों और प्रबंध समिति की बैठकों में उपस्थित होना और उनकी कार्यवाहियाँ लेखबद्ध करना जिन पर बैठक के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(च) प्रबंध समिति के किसी एक सदस्य के साथ–साथ पुस्तक प्रविष्टियों की प्रतियों को प्रभावित करना।

(छ) सामान्य तथा संस्था के चालू कार्य का संचालन करना और प्रबंध समिति के नियंत्रण में उसके द्वारा उसे सौंपे गये सभी कर्तव्यों का पालन करना।

19 संयुक्त सचिव – अध्यक्ष प्रबंध समिति के सदस्यों में से सचिव की राय लेकर एक संयुक्त सचिव की नियुक्ति करेगा जो सचिव को उसके कार्यसंचालन में मदद करेगा। तथा सचिव के दीर्घावकाश में जाने पर सचिव की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा।

20 प्रबंध समिति का निर्वाचित सदस्य समिति का सदस्य नहीं रहेगा यदि :–

(क) वह लिखित रूप से त्यागपत्र दे और समिति उसे स्वीकार कर ले।

(ख) वह किसी सामान्य बैठक में उपस्थित बैठक के दो तिहाई बहुमत द्वारा पर्याप्त कारणों के आधार पर हटा दिया जावे।

(ग) समिति की स्वीकृति के बिना वह प्रबंध समिति की लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहें।

सचिव
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द(छ.ग.)

21 (अ) उपाध्यक्ष – संस्था में दो उपाध्यक्ष होंगे जो क्रमशः उपाध्यक्ष एक एवं दो होंगे। उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों द्वारा अपने वीच से किया जाएगा। कर्तव्य अध्यक्ष की अनुपस्थित में सामान्य बैठकों की अध्यक्षता एवं अन्य आवश्यक कार्य कर सकेंगे।

(ब) कोषाध्यक्ष – कोषाध्यक्ष का निर्वाचन प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों द्वारा अपने वीच से किया जायेगा। प्राप्त सभी रकमें कोषाध्यक्ष के प्रभार में रखी जायेगी जो कि प्रबंध समिति के अनुदेशों के अनुसार भुगतान करेगा समिति का कोष स्थानीय सहकारी बैठक अथवा अनुसूचित बैठक में रखा जायेगा। राशि निकालने का अधिकार कोषाध्यक्ष तथा अध्यक्ष अथवा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

22 नियमावली में संशोधन – सामान्य बैठक उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई के बहुमत से उपविधियाँ में संशोधन किया जा सकेगा।

23 समापन – इस हेतु बुलाई गई विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम तीन पंचमाश के बहुमत से संस्था का समापन किया जा सकेगा। समापन के वाद संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी अन्य संस्था को उसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन पंचमाश के बहुमत से दे दिया जायेगा।

24 पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी – संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित विधि से कार्यकारिणी समिति की सूची रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था का परीक्षित लेखा भेजा जाएगा।

25 पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना – संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

सचिव 30/01/23
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहूं शिक्षण समिति
महासमुन्द
सचिव
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ चन्द्रनाहूं शिक्षण समिति
महासमुन्द
अध्यक्ष
छत्तीसगढ चन्द्रनाहू शिक्षण समिति
महासमुन्द(छ ग.)